

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग-1
ई संख्या:-68 /XV-1/24/7(14)22/36254
देहरादून: दिनांक 16 जनवरी, 2024

अधिसूचना संख्या: 67 XV-1/24/7(14)22/36254, दिनांक: 16 जनवरी, 2024
द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2024 की प्रति निम्नलिखित
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यापाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड/गो सेवा आयोग देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. समस्त अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
12. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करते हुए प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. गार्ड फाईल।


(राजेंद्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग-01
संख्या- 67 /XV-1/23/7(14)22/36254
देहरादून, दिनांक: 16/2/2024
अधिसूचना/प्रकीर्ण

राज्यपाल उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 की धारा 13 की उपधारा (1) संप्रति उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त), 1904 की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर के, उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने के दृष्टिगत निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:

1.

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2024 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 29 का संशोधन:

2. उत्तराखण्ड राज्य गो वंश संरक्षण नियमावली, 2011 में नीचे स्तम्भ-1 के विद्यमान नियम 29 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
29.(1) समस्त आवेदन प्रकरणों की सक्षम अधिकारियों के माध्यम से जाँच कराई जायेगी। सम्यक् जाँचोपरान्त निम्नलिखित चयन समिति द्वारा राजकीय सहायता अनुदान हेतु संस्थाओं का चयन किया जायेगा:-	समस्त आवेदन प्रकरणों की जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से जाँच कराई जायेगी। सम्यक् जाँचोपरान्त निम्नलिखित चयन समिति द्वारा राजकीय अनुदान हेतु संस्थाओं का चयन पशुपालन विभाग द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों के आलोक में किया जायेगा:-
(क) पशुपालन मंत्री - अध्यक्ष	(क) जिलाधिकारी - अध्यक्ष
उत्तराखण्ड सरकार	(ख) मुख्य विकास अधिकारी - सदस्य सचिव
(ख) अध्यक्ष, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग - सदस्य	(ग) नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय - सदस्य
(ग) उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग - सदस्य	(घ) अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत - सदस्य
(घ) उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड - सदस्य	(ङ) समस्त उपजिलाधिकारी - सदस्य
(ङ) सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन - सचिव	(च) मुख्य पशुचिकित्साधिकारी - तकनीकी सदस्य
(च) विभागाध्यक्ष, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड - सदस्य सचिव	(छ) जिला विकास अधिकारी - सदस्य
(छ) सचिव, उत्तराखण्ड गो सेवा आयोग - सदस्य	(ज) जिला पंचायती राज अधिकारी - सदस्य
(ज) सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड - सदस्य	(झ) प्रभागीय वनाधिकारी - सदस्य

(डा0 बी0वी0आर0सी0 पुरुषोत्तम)
सचिव

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of English translation of notification no...67.....dated...16.1.24 for general information.

Government of Uttarakhand

Animal Husbandry Section-1

No.-67 /XV-1/24/7(14)/22

Dehradun, Dated 16 January, 2024

NOTIFICATION/MISCELLANEOUS

In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 13 of Uttarakhand Protection of Cow Progeny Act, 2007, read with section 21 of Uttar Pradesh General Clause Act (as applicable in state of Uttarakhand), 1904, the Governor is pleased to make the following rules with view to further amend the Uttarakhand State Protection of Cow Progeny Rules, 2011

The Uttarakhand State Protection of Cow Progeny (Amendment) Rules, 2024

Short title and commencement:

1.(1) These rules may be called the Uttarakhand State Protection of Cow Progeny (Amendment) Rules, 2024.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Rule 29:

2. In the Uttarakhand State Protection of Cow Progeny Rules 2011, for the existing rule 29 as set out in column-1 below rule as set out in column-2 shall be substituted; namely:-

Column-1 Existing Rules	Column-2 Rules Hereby substituted
29.(1) All the applications shall be examined by competent authority. After examination of all the issues related to these applications by the competent authority the following committee shall select the organizations for grant of Government aid :-	All the applications shall be examined by the District Magistrate through the nominated officer. After examination the following selection committee shall select the organizations for grant of Government aid in accordance of the relevant Government orders of Animal Husbandry department :-
(a) Minister, Animal Husbandry, Government of Uttarakhand - Chairperson	(a) District Magistrate- Chairperson
(b) Chairperson, Uttarakhand GauSewaAyog - Member	(b) Chief Development Officer-Member Secretary
(c) Deputy Chairperson, Uttarakhand GauSewaAyog - Member	(c) Municipal Commissioner /Executive Officer, Concerned Municipal Body-Member
(d) Deputy Chairperson, Uttarakhand Animal Welfare Board - Member	(d) Additional Chief Officer, District Panchayat- Member
(e) Secretary, Animal husbandry, Government of Uttarakhand - Secretary	(e) All Subdivisional Magistrate-Member
(f) Head of Department, Department of Animal husbandry, Uttarakhand -Member Secretary	(f) Chief Veterinary Officer- Technical Member
(g) Secretary, Uttarakhand GauSewaAyog - Member	(g) District Development Officer- Member
(h) Secretary, Uttarakhand Animal Welfare Board - Member	(h) District Panchayati Raj Officer- Member
	(i) Divisional Forest Officer-Member


(Dr. B.V.R.C. Purshottam)
Secretary